7-2-22

पत्रावली पेश हुई। आवेदक वकील उपस्थित। बहस प्रा०पत्र इकतरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान आवेदक वकील ने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के दावे का निर्णय होने तक पाबंद किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रा०पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकूक के संबंध में निर्णय तो दावा की विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादित भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढ़े इसके लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के दावा का निर्णय होने तक पाबंद किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:19:00 IST
Reason: SelfAttested

…श	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	अस्थायी निषेधाज्ञा ता दावा का निर्णय होने तक पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम मैनपुरा के भूमि खसरा नम्बर 126, 134/5, 134/7, 147, 204 कुल किता 5 कुल रकबा 8.54 हे० में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल हुआ होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] 7/2/22	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:19:00 IST
Reason: SelfAttested